न्यायालय –प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली (हाजीपुर)

सत्र वाद संख्या 99 / 2024

सरकार बनाम् शिव नंदन पाण्डेय एवं अन्य

करताहां थाना कांड संख्या 94 / 2020

Web copy not Official

16.07.2025 आवेदकगण ईशानन्द पाण्डेय, शिवानन्द पाण्डेय एवं सूर्यानन्द पाण्डेय की हाजरी दी गयी तथा उनके तरफ से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–250 के अन्तर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 03.05.2024 एवं इसके प्रतिउत्तर दिनांक 29.08.2024 पर उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् अभिलेख आज आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

आवेदन उपरोक्त में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर प्रतिरक्षा के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है तथा उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। कथित मृतिका किरण कुमारी का कोई हत्या नहीं किया था बल्कि दिनांक 16.12.2020 से उसका तबियत खराब था, जिसका ईलाज सर्वमंगल औषधालय, लालगंज में किया गया, लेकिन उसकी स्थित में उत्रोत्तर गिरावट होने के कारण उसे बेहतर ईलाज हेतु पी0एम0सीएच, पटना भेज दिया गया, लेकिन पी0एम0सी0एच0, पटना जाने क क्रम में ही उसकी मृत्यु हो गयी, उसके शव को गांव में लाया गया तथा ग्रामीणों की उपस्थिती में ही उसका दाह संस्कार किया गया। लेकिन पूर्व विवाद के कारण सूचक द्वारा यह झूठा मुकदमा दायर किया गया। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि कथित मृतिका एवं सूचक हाजीपुर कॉलेज में बी0एड0 का अध्ययन कर रहे थे, सूचक उससे शादी करना चाह रहा था, जिसे मृतिका स्वीकार नहीं की। उनका यह कथन कि रामचौरा मंदिर में वह शादी किया था, झूठा है। विद्वान अधिवक्ता का आगे यह भी कथन है कि कथित मृतिका कभी भी सूचक के घर नहीं गयी, सूचक स्वयं मृतिका को तंग एवं परेशान करता था, जिसके लिए दिनांक 01.07.2020 को सूचक के घर पंचायती हुई, उक्त पंचायती में मृतिका किरण कुमारी ने सूचक द्वारा कथित शादी से इंकार किया था। पंचायती के बाद दोनों ने शपथपत्र दाखिल करते हुए कहा कि उनके बीच न तो कोई संबंध था और ना भविष्य में रहेगा और दोनों स्वेच्छा से शादी करेंगे। इसके बावजूद सूचक मृतिका को परेशान करता रहा। मूल कांड दैनिकी के कंडिका 38 एवं पूरक कांड दैनिकी के कंडिका 14, 5, 16 एवं 22 दर्शित करता है कि ग्रामीणों की उपस्थित में मृतिका का दाह संस्कार किया गया था, न कि साक्ष्य को मिटाने के उद्देश्य से। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन

न्यायालय –प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली (हाजीपुर)

सत्र वाद संख्या 99/2024

सरकार बनाम् शिव नंदन पाण्डेय एवं अन्य

लगातार

16.07.2025

है कि मृतिका किरण कुमारी के पिता तीन भाई है जिसका नाम शिवानन्द पाण्डेय, ईशानन्द पाण्डेय एवं ब्रहानन्द पाण्डेय है और वे 30 साल पहले अलग हो गए थे और उन्होंने अपने अलग–अलग घर बना लिए थे और उनका मृतिक के परिवार से कोई संबंध नहीं है। आवेदकगण के विरूद्ध आरोप विरचित करने हेतु कोई भी सामग्री अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है, निवेदित है कि आवेदकगण ईशानन्द पाण्डेय, शिवानन्द पाण्डेय एवं सूर्यानन्द पाण्डेय को उन्मोचित किया जाए।

विद्वान लोक अभियोजक का कथन है कि ईशानन्द पाण्डेय, शिवानन्द पाण्डेय एवं सूर्यानन्द पाण्डेय प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिनके विरूद्ध मृतिका किरण कुमारी की हत्या का आरोप है। अनुसंधानोपरांत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 201, 120बी/34 के अन्तर्गत पूरक आरोप पत्र समर्पित किया गया है। मूल कांड दैनिकी के कंडिका 2, 9, 10 एवं 11 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा प्राथमिकी का समर्थन करते हुए आवेदकगण के विरूद्ध इस मामले में संलिप्त रहने का समर्थन किया गया है। विद्वान लोक अभियोजक का यह भी कथन है कि आवेदकगण, जो इस मामले में अभियुक्त हैं, के विरूद्ध आरोप गठन हेतु अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, अतः निवेदन है कि आवेदन अन्तर्गत धारा–250 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को खारिज किया जाए।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदकगण ईशानन्द पाण्डेय, शिवानन्द पाण्डेय एवं सूर्यानन्द पाण्डेय प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिन पर उपरोक्त साजिश एवं षड्यंत्र के तहत अपनी भतीजी मृतिका की हत्या कर साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से उसका शव गायब कर देने का प्रत्यक्ष आरोप है।

आवेदकगण के विरूद्व अनुसंधानोंपरानत भारतीय दण्ड संहिता की धारा–302, 201, 120(बी)/34 के अंतर्गत पूरक आरोप पत्र समर्पित किया गया है तथा विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, तृतीय, वैशाली द्वारा मामले में संज्ञान लेते हुये मामले को विचारणार्थ दौरासुपुर्द किया गया है। मूल कांड दैनिकी की कंडिका 02, 09, 10, 11 एवं 12 में अंकित बयान में सूचक सहित अन्य साक्षियों द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है तथा मूल कांड दैनिकी की कंडिका 38 में अंकित पर्यवेक्षण टिप्पणी में

Web Copy not Official

न्यायालय –प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली (हाजीपुर)

सत्र वाद संख्या 99 / 2024

सरकार बनाम् शिव नंदन पाण्डेय एवं अन्य

लगातार

16.07.2025 भी आवेदकगण के विरूद्व काण्ड सत्य पाया गया है। इस मामले में परिस्थिति पर ध्यान दे तो सूचक एवं मृतिका का अंतरजातीय विवाह था, जो मृतिका के पिता एवं उसके परिवार वालों को स्वीकार नहीं था, जो साक्षियों द्वारा समर्थित है।

आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर यह प्रतिपादित सिद्वांत है कि अगर मामले के तथ्यों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामाग्रियों से आवेदकगण के विरूद्व अभिकथित घटना के संबंध में प्रबल संदेह भी विद्यमान है तो उक्त प्रबल संदेह के आधार पर आरोप विरचित किया जाएगा।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामाग्रियों के परिशीलन करने पर मैं यह पाता हूँ कि आवेदकगण के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा–302, 201, 120(बी) / 34 के अंतर्गत आरोप गठन किये जाने हेतु पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है तथा आवेदकगण के तरफ से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–250 के अंतर्गत दाखिल प्रस्तुत उन्मोचन आवेदन में कोई विधिक बल प्रतीत नहीं होता है। इसे खारिज किया जाता है। आवेदकगण को निदेर्शित किया जाता है कि वे अगली निर्धारित तिथि दिनांक–11.08.2025 को आरोप गठन हेतु उपस्थित हो।

लेखापित

(विजय आनन्द तिवारी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy not Official